ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. NO.- 129-130**

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-14, No.-IV, Issues-22, YEAR- Oct.-Dec.-2021

भारत में महिला पुलिस की उत्पत्ति व उपयोगिता

डॉ0 बजरंग बहादुर सिंह

ग्रा0 व पो0 गद्दोपुर, बिलरियागंज आजमगढ़ (उ0प्र0), भारत

Received- 12 .11. 2021, Revised- 16.11. 2021, Accepted - 20.11.2021 E-mail: rajcopiergst@gmail.com

सारांशः ***पुलिस शब्द का जन्म कहीं भी हुआ हो, परन्तु यह नितान्त सत्य है कि यह शब्द सदैव से राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना एवं कानूनोंके उल्लंघन की खोज करने वाले संगठित लोगों के निकाय तथा इन नियम उल्लंघनकर्ताओं के विभिन्न अपराधों को रोकने और विशिष्ट तरीकों से युक्त अपने नियमों की प्रबलता से व्यवस्था करने वाले एक संस्थापक समूह को निर्दिष्ट करने के लिए प्रयुक्त होता रहा है। पुलिस मानवीय अनुशासन का प्रतीक है। जनता अपने सैनिकों, विशेषतया पुलिस से, सामान्य नागरिक की अपेक्षा अधिक कठोर आचरण की मांग करती हैं क्योंकि इनको अनेक तरह की कानूनी शक्तियाँ व अधिकार मिले होते हैं।***

कुंजीभूत शब्द– राजनीतिक व्यवस्था, संगठित, उल्लंघनकर्ताओं, प्रबलता,संस्थापक समूह, मानवीय अनुशासन ।

भारतवर्ष की शब्दावली में जो पुलिस शब्द का आविर्भाव हुआ है, वह अंग्रेजी की ही देन है। यह शब्द ग्रीक और लैटिन शब्द का सम्मिलित रूप है। पहले ग्रीक भाषा में इसे Politeria or Palls कहते थे, पुनः लैटिन भाषा में इसे Politi कहा जाने लगा जिसे ग्रेट ब्रिटेन में सेक्शन राजाओं के युग में च्वसपबम कहा गया।

पुलिस व्यवस्था का उल्लेख अशोक के एक शिलालेख में 'पुलिस' नामक अधिकारी के विवरण से मिलता है जो जेल दण्डविभाग और न्याय का काम करता था। इससे स्पष्ट होता है कि अशोक के काल में भी पुलिस व्यवस्था थी। इसी प्रकार वैदिक काल में भी अपने जीवन के उद्देश्यों के विपरीत काम करना पाप माना जाता था और इस अपराधी कार्य को रोकने वाला संगठन ''पौरूस'' कहलाता था।

पुलिस विभाग में महिलाओं की उपयोगिता को सर्वप्रथम संसार में अमेरिका ने समझा। सन् 1877 के मध्य 16 नगरों में मुकदमे की सुनवाई के लिए हिरासत में महिलाओं और बालिकाओं की देख–रेख के लिए उन्हें 'पुलिस मेटरॉन' के रूप में नियुक्त किया गया। 1893 में शिकागो पुलिस बल ने सुश्री ओवेन को अन्वेषण विभाग में महिलाओं और बच्चों से संबंधित मुकदमों में सहायता करने के लिए नियुक्त किया।

महिला पुलिस से संबंधित प्रथम वैधानिक रूप से नियुक्ति की बात 1903 में जर्मनी के 'स्टेड मार्ट' में और 1905 पोर्टलैण्ड तथा यू.एस.ए. में हुई। पोर्टलैण्ड में महिला पुलिस की नियुक्ति इसलिए आवश्यक बनी क्योंकि वहां पर युवा महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या थी जो खान में काम करने वाले श्रमिकों तथा लकड़ी काटने वालों को रंग–रेलियाँ मनाने के लिए अपनी ओर आकर्षित करती थी।इसी समस्या के संबंध में पोर्टलैण्ड की नगर सभा के सदस्यों ने 'लाला वाल्डविन' को अस्थायी रूप में रख लिया। उसके प्रयास इतने अधिक सफल हुए कि एक स्थायी विभाग–'डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक फॉर द प्रोटैक्शन ऑफ यंग गर्ल्स एण्ड वीमेन' की स्थापना की गई।

सन् 1910 में श्रीमती 'एलिस स्लीबिन्स वेल्ज' जो लॉस ऐन्जिल्स कीएक उत्साही समाजिक कार्यकर्ता थी, उसने नगर परिषद और पुलिस कमिश्नर को सुझाव दिया कि महिलाओं और बच्चों के संरक्षात्मक ओर निरोधात्मक सेवायें अधिक प्रभावशाली होगीं यदि ये सेवायें शपथ ली हुई महिला पुलिस द्वारा दी जायेंगी। वैल्स के इस सुक्षाव के परिणास्वरूप उनकी नियुक्ति 'लॉस ऐन्जिल्स' के पुलिस विभाग में गुप्तचर के पद पर पूर्णतः अधिकार प्राप्त 'महिला पुलिस' के रूप में हुई।

भारतवर्ष में भी पुलिस विभाग में महिलाओं की नियुक्ति कोई नवीन घटना नहीं है। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले महिला पुलिस की आवश्यकता 1938 के कानपुर के 'मजदूर आन्दोलन' के दौरान हुई थी क्योंकि उस समय महिला श्रमिकों ने हड़ताल की थी चूंकि यह समस्या महिलाओं से जुड़ी थी इसलिए पुलिस विभाग को महिला पुलिस का अस्थायी रूप से गठन करना पड़ा। हड़ताल समाप्त होते ही महिला पुलिस बल को भी हटा दिया गया।

उत्तर प्रदेश में 'महिला पुलिस विंग' की स्थापना की स्वीकृति नवम्बर 1948 में कानून व्यवस्था से संबंधित कार्यों के लिए दी गयी। 1950 के मध्य महिला स्टाफ की भर्ती हुई। 1951 में लखनऊ जनपद में उनकी नियुक्ति कर दी गयी। 1951 के प्रारम्भ में महिला पुलिस ने अच्छे परिणाम दिये। उनके सराहनीय कार्यों में शामिल है–1. पन्द्रह गायब लड़कियों की बरामदगी, 2. अपहरण की गयी पांच लड़कियों की वापसी, 3.जेब काटने वाली लड़कियों की धरपकड़, 4. रेलवे स्टेशन पर अवांछित तत्वों के हाथों से छः स्त्रियों की वापसी, 5.लखनऊ रेलवे स्टेशन पर गांजे के तस्कारों की पकड़।

किन्तु अत्याधिक कार्य दिये जाने के परिणामस्वरूप उनके कार्य में गिरावट आ गयी और इस महिला विंग को आगे

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-14, No.-IV, Issues-22, YEAR- Oct.-Dec.-2021

जारी रखने के लिए कोई अनुमति नहीं दी गयी और 01 अप्रैल 1953 को यह समाप्त करदी गयी। सरकार को यह सुझाव दिया गया कि विंग का अनुपात इस प्रकार होना चाहिए–

1. एस.आई. 2. मुख्य सिपाही और सिपाही 1961 में एक महिला एस.आई. और दो मुख्य सिपाही के पद सिक्योरिटी रिजर्व स्टाफ के इन्टैलीजेन्स डिपार्टमेन्ट के लिए सृजित किये। नेहरू ने 'जनानखाना' का भी दौरा किया जहा पुरूष पुलिस तैनात नही किये जा सकते। इसी तरह 1961 में इंग्लैण्ड की महारानी एलिजाबेथ ने अपने मेहमान बनारस के राजा के 'जनानखाने' का दौरा किया। वहां भी महिला पुलिस की आवश्यकता महसूस की गयी।

इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 'महिला पुलिस' की आवश्यकता को और भी अधिक महसूस किया गया। इनकी जनसभाओं में महिलाओं की संख्या अधिक होती थी। अतः सन् 1964 में महिला पुलिस स्टाफ की अनुमति प्रदान कर दी गयी। लेकिन सृजित पदों को उपयुक्त प्रत्याशियों से भरना मुश्किल साबित हुआ, क्योंकि 1967 में कई बार विज्ञापन देने के बाद रोजगार कार्यालयों से लम्बा पत्राचार करके ही इन पदों को भरना संभव हुआ क्योंकि उस समय महिलाओं की रूचि इस जोखिमपूर्ण नौकरी करने में नही थी और न ही परिवार के सदस्य इस विभाग में लड़की को नौकरी करवाना पसंद करते थे।" उत्तर प्रदेश में इन्टेलीजेन्स डिपार्टमेन्ट की इन महिलाओं जिनमें एक एस.आई. व दो मुख्य सिपाही को तीन महीने को प्रशिक्षण देकर महिला पुलिस अभियान की शुरूआत की गयी। 1948 में दिल्ली में भी महिला पुलिस की स्थापना की हुई। दिल्ली में महिला पुलिस अनैतिक देह व्यापार के मामलों को निपटाने में विशेष सहायक सिद्ध हुई। 1949 में अहमदाबाद में पुरूष सिपाही की जगह महिला सिपाही की भर्ती की गयी। उनकी ड्यूटी में महिला अपराधियों की तलाश, पूजा स्थलों की चौकसी, वेश्यावृत्ति पर नजर रखना, महिला कैदियों के साथ जाना एवं बाम्बें चिल्ड्रन एक्ट 1948 को लागू करना इत्यादि प्रमुख कार्य शामिल थे। राजस्थान में सन् 1955 में महिला संगठन की स्थापना की गई। जिनके मुख्य कार्यो में शामिल है– अनैतिक देह व्यापार पर निगरानी, स्त्री अपराधियों की तलाशी, जासूसी एवं धर्मों से संबंधित कार्य के अलावा डाक प्रेषण, अखबारों की कटिंग एवं उनको चिपकाना जैसे लिपिकीय कार्य भी करती है। बढ़ती हुई किशोर समस्याओं ने मध्यप्रदेश में पुलिस की आवश्यकताओं को जन्म दिया और यहां भी महिला पुलिस की नियुक्त हुई।

आन्ध्रप्रदेश में असील (ASEEL) के नाम से सोलह कांस्टेबलो की भर्ती की गयी और 1950 में उन्हें अपराध शाखा के साथ नियुक्त कर दिया गया, ये अशिक्षित थीं। बाद में शिक्षित महिलाओं की आवश्यकताओं महसूस की गयी, तॉकि वे निरन्तर बढ़ती समस्याओं से कानूनी रूप से निपट सकें और 1950 में एक महिला एस.आई. छः महिला हैड कांस्टेबिल और 52 सिपाही के पद पर महिला भर्ती की गयी। केरल में 1968 में पुराने ट्रावनकोर राज्य में महिला पुलिस युनिट की स्थापना पुलिस प्रशिक्षण कालेज के प्राचार्य के अधीन हुई थी। 1966 में इस युनिट का स्थानान्तरण शहर की पुलिस के साथ कर दिया गया और त्रिवेन्द्रम के पुलिस कमिश्नर के अधीन हो गयी। 1961 में उड़िसा में एक एस.आई. के पद का सृजन किया गया और 1964 में पहली महिला एस.आई. की नियुक्ति कटक शहर के कॉलेजों के पास लड़कियों के साथ होने वाली छेड़खानी को रोकने हेतु की गयी। बिहार पुलिस की 1952 की पहली नियुक्ति में रांची की आदिवासी महिला श्रीमती हेमंती कुंजूर और कुमारी रोजलिन टिर्की का नाम उल्लेखनीय है। श्रीमती हेमंती कुंजूर बिहार की प्रथम महिला हवलदार है जो प्रोन्नत होकर सुबेदार बनी। अवर निरीक्षक श्रीमती माग्देलेन टोपनो, सुशीला द्विवेदी और कुमारी इभा पात्रा का नाम भी उल्लेखनीय है।

इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यों से विदित होता है कि सन् 1972 तक सम्पूर्ण देश में कोई महिला आई.पी.एस. अधिकारी नही थी। इसी वर्ष सर्वप्रथम किरण बेदी ने इस पद को सुशोभित किया, तभी से अखिल भारतीय सेवा से लेकर आरक्षी के स्तर तक महिला पुलिस सम्पूर्ण देश में कार्यरत है। उत्तर प्रदेश में महिला पुलिस इकाई 1974 में संगठित की गयी और आज महिला पुलिस 'पुलिस विभाग' व समाज का एक अभिन्न अंग बन गयी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. गुप्ता, दीनदयाल – 'जनता एवं पुलिस समन्वय, इण्डियन पुलिस जर्नल, जुलाई–दिसम्बर 1966.
2. चन्द्र दिनेश – 'पुलिस सर्वाधिक लोकप्रिय हो सकती है उत्तर प्रदेश पुलिस पत्रिका, अक्टूबर 1996.
3. जाफरी, जफर मेंहदी– पुलिस समाज की आवश्यकता क्योघ उत्तर प्रदेश पुलिस पत्रिका, अगस्त, 1996.
4. मीनाक्षी – 'सामाजिक चेतना और विकास के परिप्रेक्ष्य में पुलिस की भूमिका' अपराधों की रोकथाम में महिला पुलिस की भूमिका'।
5. यादव विमिलेश, – 'अपराधों की रोकथाम में महिला पुलिस की भूमिका'।
6. भारत 1985 – सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।

*****